P.1 R.M.M. Law College - Saharsa
Manvendra Mandal
Pertaining Lectures

Subject - Contract - II
Specific Contract

Difference between

उपनिधान और गिरवी में भेद (Bailment and pledge)

उपनिधान गिरवी की अपेक्षा व्यापक शब्द है। गिरवी के अन्तर्गत माल का परिदान ऋण के भुगतान या वचन के पालन की guarantee के रूप में दिया जाता है, परन्तु जब इससे भिन्न प्रयोजन हेतु माल का परिदान किया जाता है तो उसे गिरवी यानी उपनिधान न कह कर उपनिधान कहते हैं। Bailment की दशा में यदि Bailor Bailee के विधिक व्ययों या खर्चों की अदायगी नहीं करता है तो Bailee उपनिहित माल को रोक सकता है। इसे उपनिहिती का धारणाधिकार (Right of lien) कहते हैं। गिरवी की दशा में पणयमदार (pawnee) या गिरवीदार (pledgee) को Right of lien के अतिरिक्त गिरवी माल को बेचने का भी अधिकार प्राप्त होता है। धारा 176 के अनुसार यदि पणयमकार (pawnor) उस ऋण का संदाय करने में या नियत समय पर उस वचन का पालन करने में जिसके लिए माल गिरवी रखा गया था, चूक करता है तो pawnee pawnor को सूचना देकर गिरवी माल को बेच सकता है।

गिरवी के पक्षकार

गिरवी रखने वाले को पणयमकार (गिरवीकर्ता) और जिसके पास गिरवी रखी जाती है उसे पणयमदार (गिरवीदार) कहते हैं।

✓ उपनिधान के प्रकार (Kinds of Bailment)

अंग्रेजी विधि में लार्ड होल्ट ने उपनिधान को कई भागों में विभाजित किया है— (i) डिपोजिट (Deposit) - इसमें Bailee उपनिहित माल को Bailor के प्रयोगार्थ अपनी अभिरक्षा में रखता है (ii) कमोडेटम (Commodatum) - इसमें Bailor Bailee को निःशुल्क माल उधार देता है और Bailee को माल का प्रयोग करने का अधिकार होता है। (iii) हायर (Hire) - इसमें Bailor भाड़े पर Bailee को माल देता है। (iv) पान (pawn) अर्थात गिरवी - इसमें माल एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को ऋण की guarantee के रूप में दिया जाता है। (v) लोकेशियो आपेरिस फेसिएन्डी (Locatio operis faciendi) - इसमें माल Bailee को उसके सम्बन्ध में कुछ कार्य करने के लिए या माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर

Scanned with CamScanner

उपनिधान के प्रकार
P-2 (Kinds of Bailment)

ले जाने के लिए दिया जाता है और Bailee को इसके बदले में प्रतिफल दिया जाता है।

(VI) मेनडेटम (Mandatum) — इसमें माल Bailee को उसके सम्बन्ध में कुछ कार्य करने के लिए या परिवहन के लिए दिया जाता है और Bailee इसके बदले में कोई प्रतिफल नहीं लेता है।

भारतीय संविदा अधिनियम में Bailment का कोई स्पष्ट वर्गीकरण नहीं किया गया है। केवल उपनिधान से सम्बन्धित सामान्य सिद्धान्त को प्रतिपादित किया गया है; जैसे- भाड़े के लिए उपनिधान, निःशुल्क उपनिधान, कार्य करने के लिए उपनिधान, अभिरक्षा के लिए उपनिधान, गिरवी रूपी उपनिधान इत्यादि।

Scanned with CamScanner